न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या मुतफरिक 45/2016 (प्रार्थना पत्र)

श्री सुन्दर लाल पिता केहरा जी मीणा निवासी थाना ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक उपखण्ड
अधिकारी ऋषभदेव दिनांक 7–1–2011 प्रकरण
संख्या 20/2010 नियमन

————————————

उपस्थित :–1– श्री हितेश जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

——————/——————

आदेश **दिनांक 26–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा अपीलान्ट के नियमन प्रकरण में जिस पर दिनांक अंकित नहीं है, (7–1–2011 संभावित) नहीं है, के विरूद्ध यह अपील दिनांक 27–6–2016 को दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन व शपथ पत्र के साथ पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा नकल प्राप्त किये जाने के लिए अथक प्रयास किये जाने पर नकल दी गई। अन्दर जानकारी मयाद आवेदन/अपील प्रस्तुत की जा रही है। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। तहसीलदार ऋषभदेव ने स्पष्ट रूप से अपने प्रतिवेदन में अपीलान्ट को ऋषभदेव का निवासी बताकर ग्राम थाना की आराजी नंबर 1985 व 1992 क्षैत्रफल 2 हैक्टर भूमि पर कब्जा सन् 2000 से पहले का होना बताकर नियमन की अनुशंषा के साथ पत्रावली नियमन कमेटी को प्रस्तुत करने की अनुशंषा की। उक्त आवेदन दिनांक 20–12–2010 को शिविर प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अपीलान्ट ने अपना शपथ पत्र भी दिया है तथा वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। पटवारी, भू–अभिलेख निरक्षक व तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में 1998 से 2006 तक के कब्जे का उल्लेख किया है। अपीलान्ट के पक्ष में सभी दस्तावेज का परीक्षण कर आवंटन सलाहकार समिति ने जिसमें तहसीलदार, विधायक, प्रधान, विकास अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, परन्तु इसके बाद लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से उपखण्ड अधिकारी ने सहमति के हस्ताक्षर के पश्चात् केन्सल्ड अंकित कर दिया तथा प्रतिवेदन के विरूद्ध अपीलान्ट को ऋषभदेव का निवासी नहीं होना बताते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है। आवंटन नियम 1970 के नियम–13 (5) (1) के अनुसार यदि उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति से सहमत नहीं हो, तो उसे प्रकरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने सहमति के हस्ताक्षर करने के बाद दुबारा हस्ताक्षर कर केन्सल लिखा जो गलत है। आवंटन नियम 1970 के नियम–20 की पात्रता अपीलान्ट रखता है। अपील स्वीकार की जाकर नियमन आदेश जारी किये जाये अथवा पत्रावली उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव को नियमन हेतु प्रतिप्रेषित की जाय।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि शिविर प्रभारी के समक्ष दिनांक 21–12–2010 को आवेदक अपीलान्ट ने नियमन आवेदन

शपथ पत्र तथा वर्ष 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 के अतिक्रमण नोटिस व रसीदों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में शपथ पत्र में आवेदक ने स्वयं को ऋषभदेव का होना बताकर ग्राम थाना की भूमि के नियमन का आवेदन पेश किया। शिविर प्रभारी के उक्त आवेदन पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट ली जाकर नियमन की अनुशंषा की गई है तथा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42 पर पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा सम्वत् 2057 से 2067 तक अतिक्रमी का आराजी नंबर 1985, 1992 पर कब्जा होने की तस्दीक की है। तहसीलदार द्वारा फर्द–अहकाम पर नियमन अनुशंषा प्रस्तुत की गई है, जिस पर भू–राजस्व आवंटन सलाहकार समिति ने आवेदक को ऋषभदेव का निवासी होकर ग्राम थाना की आराजी नंबर 1985, 1992 किता–2 रकबा 2 हैक्टर भूमि पर नियमन किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त अनुशंषा पर तहसीलदार, विधाययक, प्रधान व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा उपखण्ड अधिकारी के भी हस्ताक्षर है तथा दुबारा उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर होकर केन्सल्ड लिखा हुआ है। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त अनुशंषा के नीचे आवेदक को ऋषभदेव का निवासी नहीं होना बताकर आवेदन खारिज कर दिया है।

कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम–20 जो कि नियमन से संबंधित है में तथा आवंटन की पात्रता हेतु नियम–11 में आवंटन/नियमन किये जाने के लिए उसी ग्राम का व्यक्ति होने पर आवेदन खारिज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–101 (4) भी ऐसा कोई निर्बन्धन नहीं लगाती। नियमन आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर है, पर दुबारा हस्ताक्षर कर केन्सल्ड अंकित किया गया है, दुबारा हस्ताक्षर किये जाने के औचित्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। प्रकरण में आवेदक स्वयं यह कहकर आता है कि वह ऋषभदेव का निवासी है तथा शपथ पत्र भी देता है। पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार तथा आवंटन सलाहकार समिति भी इसकी पुष्टि करती है, फिर उपखण्ड अधिकारी को आवेदक के ऋषभदेव के निवासी नहीं होने का क्या आधार है, इस पर कोई तारकीक विवेचन नहीं किया है। आवेदक का वर्ष 1993 से 2006 तक का कब्जा प्रमाणित है तथा वह नियमन की पात्रता क्यों नहीं

रखता, जबकि समस्त राजस्व कर्मी व भू–आवंटन सलाहकार समिति इससे सहमति रखती है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदक को ऋषभदेव का निवासी नहीं होना बताकर जबकि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, नियमन आवेदन खारिज कर दिया जाना विधिक प्रतीत नहीं होता एवं अन्यथा भी आवंटन नियम–1970 के नियम–13(5)(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी को भू–आवंटन सलाहकार समिति से असहमत होने पर प्रकरण निर्णयार्थ जिला कलक्टर को प्रेषित करना चाहिये था।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह सुस्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमन आवेदन पर दिया गया आदेश तथ्यात्म्क एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव का नियमन आवेदन निरस्त किये जाने का आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपयुक्त जांच करवाकर नियमन आदेश पारित करने अथवा बाद जांच भी भू–आवंटन सलाहकार समिति के असहमत होने पर प्रकरण जिला कलक्टर को निर्णयार्थ प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये जाते है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर